

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक: एफ/प्रशा/स्था/2021/ 3565

दिनांक: 01/02/2021

// कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (ख) (1) के अनुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 29 जनवरी, 2021 के पद क्रमांक 26 पर लिये गये निर्णयानुसार प्रो. उमेश होलानी, आचार्य, वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलाधिसचिव (रेक्टर) नियुक्त किया जाता है।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार


(डॉ. आनंद मिश्रा)
कुलसचिव


प्रति,

प्रो. उमेश होलानी
आचार्य, वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययनशाला
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रतिलिपि:-

निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. समस्त विभागाध्यक्ष/अधिकारी/अधीक्षक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
7. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु


सहा./उप-कुलसचिव (प्रशा.)